रजिस्ट्री सं० डी०-221

REGISTERED NO. D-221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग 2 — अनुभाग 1क
PART II — SECTION 1A
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 5 | नई दिल्ली, रविवार, 19 नवंबर, 2000/ 28 कार्तिक, 1922 (शक) | खंड XXXVI
No. 5 | NEW DELHI, SUNDAY, NOVEMBER 19, 2000/KARTIKA 28, 1922 (SAKA) | VOL. XXXVI

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय

(विधायी विभाग)

नई दिल्ली, 19 नवंबर, 2000/28 कार्तिक, 1922 (शक)

दि मध्य प्रदेश रिआर्गेनाइजेशन ऐक्ट, 2000; (2) दि उत्तर प्रदेश रिआर्गेनाइजेशन ऐक्ट, 2000; और (3) दि बिहार रिआर्गेनाइजेशन ऐक्ट, 2000 के निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद राष्ट्रपति के प्राधिकार से प्रकाशित किए जाते हैं और ये राजभाषा अधिनियम, 1963 (1963 का 19) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन उनके हिन्दी में प्राधिकृत पाठ समझे जाएंगे:—

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(LEGISLATIVE DEPARTMENT)

New Delhi, November 19, 2000/Kartika 28, 1922 (Saka)

The translations in Hindi of the following, namely:—(1) The Madhya Pradesh Reorganisation Act, 2000; (2) The Uttar Pradesh Reorganisation Act, 2000; and (3) The Bihar Reorganisation Act, 2000 are hereby published under the authority of the President and shall be deemed to be the authoritative texts thereof in Hindi under clause (*a*) of sub-section (*1*) of section 5 of the Official Languages Act, 1963 (19 of 1963) :—

सत्यापित
19-2-16
सहायक नियत्रंक (वाणिज्य)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
शहरी विकास मंत्रालय
सिविल लाईन्स, दिल्ली-54

मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000

(2000 का अधिनियम संख्यांक 28)

[25 अगस्त, 2000]

विद्यमान मध्य प्रदेश राज्य के पुनर्गठन और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के इक्यावनवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

भाग 1

प्रारंभिक

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 है। संक्षिप्त नाम।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,— परिभाषाएं।

(क) "नियत दिन" से वह दिन अभिप्रेत है, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे;

(ख) "अनुच्छेद" से संविधान का कोई अनुच्छेद अभिप्रेत है;

(ग) "सभा निर्वाचन-क्षेत्र", "परिषद् निर्वाचन-क्षेत्र" और "संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र" के वही अर्थ हैं जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 में हैं; 1950 का 43

(घ) "निर्वाचन आयोग" से राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 324 के अधीन नियुक्त निर्वाचन आयोग अभिप्रेत है;

(ङ) "विद्यमान मध्य प्रदेश राज्य" से नियत दिन के ठीक पूर्व विद्यमान मध्य प्रदेश राज्य अभिप्रेत है;

(च) "विधि" के अन्तर्गत संपूर्ण विद्यमान मध्य प्रदेश राज्य में या उसके किसी भाग में, नियत दिन के ठीक पूर्व विधि का बल रखने वाली कोई अधिनियमिति, अध्यादेश, विनियम, आदेश, उपविधि, नियम, स्कीम, अधिसूचना या अन्य लिखत हैं;

(छ) "अधिसूचित आदेश" से राजपत्र में प्रकाशित कोई आदेश अभिप्रेत है;

(ज) मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य के संबंध में, "जनसंख्या अनुपात" से 485.7:176.2 का अनुपात अभिप्रेत है;

सत्यापित
19-2-16
सहायक नियत्रंक (वाणिज्य)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
शहरी विकास मंत्रालय
सिविल लाईन्स, दिल्ली-54

(ii) भाग 19 के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात्:—

"भाग 20—छत्तीसगढ़

1. अगरिया
2. आंध
3. बैगा
4. भैना
5. भारिया, भूमिया, भुईहार, भूमियां, भूमिया, भारिया, पालिहा, पांडो
6. भत्तरा
7. भील, भिलाला, बरेला, पटेलिया
8. भील मीना
9. भुंजिया
10. बियार, बीआर
11. बिंझवार
12. बिरहुल, बिरहोर
13. डामोर, डामरिया
14. धनवार
15. गडाबा, गडबा
16. गोंड, अरख, आरख, अगरिया, असुर, बड़ी मारिया, बडा मारिया, भटोला, भीम्मा, भूता, कोइलाभुता, कोलियाभुती, भार, बायसन हार्न मारिया, छोटा मारिया, दंडामी मारिया, धुरू, धुरवा, धोबा, धुलिया, डोरला, गायकी, गट्टा, गट्टी, गेटा, गोंड, गोवारी, हिल मारिया, कंडरा, कलंगा, खटोला, कोईतर, कोया, खिरवार, खिरवारा, कुच मारिया, कुचाकी मारिया, माडिया, मारिया, माना, मन्नेवार मोध्या, मोगिया, मोंघ्या, मुडिया, मुरिया, नगारची, नागवंशी, ओझा, राजगोंड, सोन्झारीं, झरेका, थाटिया, थोटया, वाडेमारिया, वडेमारिया, दरोई
17. हलबा, हलबी
18. कमार
19. कारकू
20. कवर, कंवर, कौर, चेरवा, राठिया, तनवर, छत्री
21. खैरवार, कोंदर,
22. खरिया
23. कोंध, खोंड, कोंध
24. कोल
25. कोलम
26. कोरकू, बोपची, मोवसी, निहाल, नाहुल, बोंधी, बोडिया
27. कोरवा, कोडाकू

सत्यापित
19-2-16
सहायक नियंत्रक (वाणिज्य)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
शहरी विकास मंत्रालय
सिविल लाईन्स, दिल्ली-54

28. मांझी

29. मझवार

30. मवासी

31. मुंडा

32. नगेसिया, नागासिया

33. उरांव, धानका, धनगढ़

34. पाव

35. परधान, पथारी, सरोती

36. पारधी, बहेलिया, बहेल्लिया, चिता पारधी, लंगोली परधी, फांस पारधी, शिकारी, टाकनकार, टाकिया [(i) बस्तर, दंतेवाडा, कांकेर, रायगढ़, जशपुरनगर, सरगुजा और कोरिया जिले में (ii) कोरबा जिले की कटघोरा, पाली, करतला और कोरबा तहसीलों में (iii) बिलासपुर जिले की बिलासपुर, पेंडरा, कोटा और तखतपुर तहसीलों में (iv) दुर्ग जिले की दुर्ग, पाटन, गुंडेरदही, धमधा, बालौद, गुरुर और डोंडीलोहारा तहसीलों में (v) राजनांदगांव जिले के चौकी, मानपुर और मोहला राजस्व निरीक्षक सर्किलों में (vi) महासमुंद जिले की महासमुंद, सराईपाली और बसना तहसीलों में (vii) रायपुर जिले की बिंद्रा–नवागढ़ राजिम और देवभोग तहसीलों में और (viii) धमतरी जिले के धमतरी, कुरुद और सिहावा तहसीलों में:

37. परजा

38. सहारिया, सहरिया, सेहरिया, सहेरिया, सोसिया, सोर

39. साओंता, सौता

40. सौर

41. सवर, सवरा

42. सोंर।"।

सत्यापित

19-2-16

सहायक नियंत्रक (वाणिज्य)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
शहरी विकास मंत्रालय
सिविल लाईन्स, दिल्ली-54